भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
वित्तीय सेवाएं विभाग
लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या *278
(जिसका उत्तर 05 जनवरी, 2018/15 पौष, 1939 (शक) को दिया जाना है)

बैंकों द्वारा सिक्के को स्वीकार न करना

278. श्री मोहम्मद सलीमः
श्री मोहम्मद बदरुद्दोज़ा खानः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि बैंक ग्राहकों से सिक्के स्वीकार नहीं कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) छोटे व्यापारियों, दुकानदारों, पथ विक्रेताओं और भिखारियों के समक्ष आ रही कठिनाइयों को कम करने के लिए सरकार किस प्रकार की योजना बना रही है; और

(घ) कुछ बैंकों द्वारा सिक्के स्वीकार नहीं करने के कारण जिन लोगों के पास बड़ी मात्रा में सिक्के हैं उन्हें सरकार द्वारा क्या सलाह दी गई है?

उत्तर
वित्त मंत्री (श्री अरुण जेटली)

(क) से (घ): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

'बैंकों द्वारा सिक्के को स्वीकार न करना' के संबंध में श्री मोहम्मद सलीम और श्री मोहम्मद बदरुद्दोजा खान द्वारा पूछे गए 05 जनवरी, 2018 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *278 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) से (घ): भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने यह सूचित किया है कि उन्हें लोगों तथा कुछेक संगठनों से सिक्के स्वीकार न करने के संबंध में बैंकों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं। आरबीआई ने बैंकों को अपनी सभी शाखाओं में लेनदेन तथा विनिमय के लिए सिक्के स्वीकार करने की सलाह दी है। इसके अलावा, आरबीआई के क्षेत्रीय कार्यालयों (आरओ) को अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले बैंकों के नियंत्रकों यह सलाह देने का अनुदेश दिया गया है कि वे अपनी सभी शाखाओं में सिक्के स्वीकार करें। आरबीआई के आरओ को भी लोगों से सिक्के स्वीकार करने के लिए काउंटर खोलने की सलाह दी गई है। लोग आरबीआई के अनुदेशों के अनुसार बैंक शाखाओं में सिक्के बदल सकते हैं।

*****